राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अवमानना याचिका संख्या :–03/2018

अपील संख्या :– 899/2005

1. प्रहलाद सिंह जोधा (मृतक)

1/1. श्रीमती कुंदन कंवर (पत्नी)

1/2. लोकेंद्र सिंह (पुत्र)

1/3. देपेंद्र सिंह (पुत्र)

1/4. शिवपाल सिंह (पुत्र)

1/5. शक्ति सिंह (पुत्र)

–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री कुलदीप रांका, शासन सचिव, वन मंत्रालय एवं पर्यायवरण, सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
2. श्री अनिल कुमार गोलय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन भवन, अशोक मार्ग जयपुर।
3. श्री बी आर भादू मुख्य वन संरक्षक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर, राजस्थान।
4. श्री दया राम दुल्लड वन संरक्षक इंदिरा गांधी नहर परियोजन, स्टेज– 1 बीकानेर।
5. श्री दया राम दुल्लड उपवन संरक्षक, छतरगढ, बीकानेर।
6. श्री अरविंद कुमार पोसवाल, सचिव, कार्मिक विभाग (के–2) शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस एस निर्वाण, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अवमानना याचिका लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी का दिनांक 06.01.2021 को निधन हो जाने से अपीलार्थी के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उन्हें अपील में रिकॉर्ड पर लिया गया।
2. प्रस्तुत अवमानना याचिका में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपील संख्या 899/2005 श्री प्रहलाद सिंह जोधा बनाम राजस्थान राज्य में आदेश दिनांक 25.10.2017 के द्वारा इस अधिकरण द्वारा यह आदेश दिया था कि **''अतः अपीलार्थी की हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवा की गणना, उसके नियुक्ति आदेश अनुलग्नक–2 दिनांक 28.09.1993 की पालना में कार्यभार ग्रहण की तिथि दिनांक 18.12.1993 से करते हुए अपीलार्थी को 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जाये तथा तद्नुसार वेतन स्थिरीकरण संशोधित किया जावे एवं एरियर की राशि का 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित भुगतान किया जावें तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी तद्नुसार ही स्वीकृत किया जावे। इस आदेश की पालना अधिकतम 2 माह के अन्दर की जावे तथा पालना किये जाने तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग ब्याज की राशि विभाग के सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।''** उनका कथन है कि उक्त आदेश की पालना नहीं की गई है।
3. उक्त अवमानना याचिका प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर अवमाननाकर्ताओं कों नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं कोई अनुपालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. अवमानना याचिका पर विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया।
5. अपीलार्थी की तरफ से निवेदन किया गया कि अधिकरण के आदेश की प्रत्यर्थीगण जान–बूझ कर पालना नहीं कर अवमानना की गई है। अतः प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय को रेफर किया जावे।
6. प्रस्तुत अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निवेदन किया कि अधिकरण द्वारा जारी आदेश के विरूद्व एक याचिका (एस बी सिविल याचिका संख्या 13347/2018) माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिनांक 14.11.2018 को आदेश पारित किया गया। जिसमें अधिकरण के आदेश को संशोधित किया गया, जो निम्नानुसार हैः– '' Learned counsel for the respondent has submitted that he shall forgo the interest in case employer comply

with the judgment of Tribunal within thirty days from today. A very fair stand has been taken by the learned counsel for the respondent. Hence, the order passed by the Tribunal is modified and it is ordered that in case judgment of the Tribunal is complied within thirty days from today, the respondent may not be paid interest in terms of the order passed by the Tribunal. However, it is clarified that if the judgment is not complied within 30 days, then the employer shall pay 9% interest in terms of the judgment passed by the Tribunal."

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना नहीं किये जाने पर इस अधिकरण के समक्ष अपील में अपीलार्थी प्रहलाद सिंह जोधा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना दायर की गई, जो वर्तमान में लंबित है। इस तथ्य को बहस के दौरान उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। अधिकरण को यह भी अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध भी राज्य सरकार डी.बी. अपील की हुई है, जो वर्तमान में लंबित है, परन्तु उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

7. उक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि अधिकरण के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा संशोधित किया जा चुका है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं किये जाने के कारण उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना कराये जाने हेतु अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर होकर लंबित है। अब हम इस स्थिति में अधिकरण के समक्ष लंबित अवमानना याचिका में कोई कार्यवाही किया जाना समीचीन नहीं पाते है। ऐसे में प्रत्यर्थीगण के विरूद्व दायर अवमानना की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य